I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB PANCHKULA **Year (वर्ष):** 2019

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0001 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 04/04/2019 15:31 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	409
2	THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)
3	THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/04/2019 **Time (समय):** 14:27 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 006 **Date and Time (दिनांक और समय):** 04/04/2019 14:27 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 100 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): DADUPUR DISTT YAMUNA NAGAR,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)): YAMUNA NAGAR (HARYANA)

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** INSP. SURESH KUMAR

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 15/03/1970 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	PS SVB PKL, SECTOR-14, PANCHKULA, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	PS SVB PKL, SECTOR-14, PANCHKULA, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9416322779

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सुरेन्द्र कुमार सिंधवानी			1. तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता,मण्डल जगाधरी,JAGADHRI CITY,YAMUNA NAGAR,HARYANA,INDIA
2	एस0एन0 भारद्वाज			1. तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता,जल सेंवाऐं,दादूपुर,CHHACHHRAULI,YAMUNA NAGAR,HARYANA,INDIA
3	अछर कुमार			1. तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता,जल सेवाऐं,मण्डल जगाधरी,JAGADHRI CITY,YAMUNA NAGAR,HARYANA,INDIA
4	एस0के0 बंसल			1. उप मण्डल अधिकारी जल सेवाएं,YAMUNA NAGAR CITY,YAMUNA NAGAR,HARYANA,INDIA
5	ओ0पी0 बठला			1. उप मण्डल अधिकारी जल सेवाएं,YAMUNA NAGAR CITY,YAMUNA NAGAR,HARYANA,INDIA
6	प्रवीण चंद शर्मा			1. उप मण्डल अधिकारी जल सेवाऐं,YAMUNA NAGAR CITY,YAMUNA NAGAR,HARYANA,INDIA
7	सतपाल बेदी व अन्य			1. उप मण्डल अधिकारी जल सेवाए,YAMUNA NAGAR CITY,YAMUNA NAGAR,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल लेख इस प्रकार से है सेवा में, प्रबन्धक थाना, राज्य चैकसी ब्यूरो, पंचकूला श्रीमान जी, निवेदन है कि अतिरिकत मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के यादि क्रमांक 46/21/2018-4 चौ (II) दिनांक 13.08.2018 की अनुपालना में जाँच क्रमांक 8 दिनांक 16.08.2018 /अम्बाला दर्ज की गई थी जो महानिदेशक, राज्य चैकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के क्रमाक न0 12310-11/I-3/SVB(H) dated 29.08.2018 के अनुसार राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला में भेजी गई थी जिसमें सिचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा गठित कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर कुल तीन आरोपो की पडताल की जानी थी। जिसमे आरोप न0 3 यह था कि शाहबाद फीडर की विभिन्न आर0डी0 0.3 से 50.700 कि0मी0 के क्षेत्र मे ज्यादा मात्रा मे खोदी गई मिटटी मौका पर छोड दी, जो बाद मे पता लगने पर पैमाईश के दौरान विभिन्न जगह पर छोडी गई, निकली हुई मिटटी से कम पाई गई जिसका पता नही कि वह मिटटी चोरी की गई या अधिक मात्रा मे बेची गई, जिससे भी सरकार को करोडो रूपये का नुकसान हुआ। सिचांई विभाग के

अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा नहर की खुदाई के समय ठीक प्रकार से योजना नही बनाने, कार्य की ठीक देख रेख ना करके अनियमितताए की गई तथा एजेन्सी द्वारा सिचाई विभाग एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियो/कर्मचारियो से मिलीभगत करके खुदाई की गई मिटटी को आम लोगो को बेचकर सरकार को करोडो रूपये का नुकसान पहुंचाया है। जांच मे पाया गया, कि वर्ष 2016-17 में सिचाई विभाग द्वारा दादुपुर नलवी स्कीम के तहत शाहबाद फीडर, शाहबाद डिस्ट्रीब्यूटरी व शाहबाद नलवी डिस्ट्रीब्यूटरी का निर्माण कार्य क्रमशः शाहबाद फीडर बुर्जी न0 0.300 से 50.700 किलोमीटर तथा शाहबाद डिस्ट्रीब्यूटरी बुर्जी न0 0.000 किलोमीटर से 24.550 किलोमीटर तथा शाहबाद नलबी डिस्ट्रीब्यूटरी बुर्जी न0 0 फुट से 110000 फुट तक का निर्माण कार्य कार्यकारी अभियन्ता हथनी कुंड बैराज, डिवीजन न0 1 जगाधरी, कार्यकारी अभियन्ता, जल सेवाऐं, डिवीजन दादुपुर यमुनानगर, कार्यकारी अभियन्ता, जल सेवायें, डिवीजन जगाधरी, कार्यकारी अभियन्ता, सरस्वती हैरीटेज, डिवीजन न0 2 कुरूक्षेत्र तथा कार्यकारी अभियन्ता, जल सेवाऐं, मण्डल अम्बाला व कार्यकारी अभियन्ता, SYL जल सेवाऐं, मण्डल द्वारा करवाना पाया गया । कार्यकारी अभियन्ता, हथनी कुंड बैराज, डिवीजन न0 1 जगाधरी द्वारा शाहबाद फीडर बुर्जी न0 0.000 से 11.587 किलोमीटर के निर्माण कार्य को, कार्यकारी अभियन्ता, जल सेवाऐं, डिवीजन दादुपुर, यमुनानगर द्वारा बुर्जी 11.587 किलोमीटर से 19.155 किलोमीटर तक, कार्यकारी अभियन्ता, जल सेवाए, डिवीजन जगाधरी द्वारा बुर्जी 19.155 किलोमीटर से 24.841 किलोमीटर तक तथा कार्यकारी अभियन्ता, सरस्वती हैरीटेज, डिवीजन न0 2 कुरूक्षेत्र द्वारा बुर्जी 24.841 किलोमीटर से 50.700 किलोमीटर तक के कार्यो को सिचाई विभाग मुख्यालय से अनुमोदित अनुमानो अनुसार कार्य करवाने पाए गए । इसी प्रकार कार्यकारी अभियन्ता, सरस्वती हैरीटेज डिवीजन न0 2 कुरूक्षेत्र द्वारा शाहबाद डिस्ट्रीब्यूटरी बुर्जी न0 0.000 किलोमीटर से 24.550 किलोमीटर के निर्माण कार्य को, कार्यकारी अभियन्ता जल सेवाऐं मण्डल अम्बाला द्वारा शाहबाद नलवी डिस्ट्रीब्यूटरी बुर्जी न0 0.000 से 26250 फुट तक तथा कार्यकारी अभियन्ता, SYL जल सेवाऐं, मण्डल अम्बाला द्वारा बुर्जी 26250 फुट से 110000 फुट तक अनुमोदित अनुमान अनुसार कार्य करवाने पाए गए है। जांच से पाया है कि कार्यकारी अभियन्ता, जल सेवाऐं, मण्डल जगाधरी द्वारा शाहबाद फीडर की खुदाई कार्य आर0डी0 न0 19.155 किलोमीटर से 24.841 किलोमीटर से खुदाई की गई। मिटटी मे से 63983 क्यूम मिटटी साईट पर अन्तिम बिलो अनुसार उपयोग होनी पाई गई । इस मिटटी को मौके पर उपलब्ध मिटटी की मात्रा मे ही शामिल किया हुआ था। श्री राकेश चौहान, मुख्य अभियन्ता, श्री नितेश जैन, मुख्य अभियन्ता तथा श्री सुनील हुडडा अधीक्षक अभियन्ता की गठित कमेटी रिपोर्ट अनुसार कार्यकारी अभियन्ता, जल सेवाऐं, दादुपुर मण्डल द्वारा की खुदाई की गई मिटटी की मात्रा से अधिक मात्रा मे उपयोग करने व नीलाम करना दिखाया हुआ था। इसी प्रकार कार्यकारी अभियन्ता HKB मण्डल -1 जगाधरी द्वारा सरपल्स मिटटी 259590 Cum को खुर्दबुर्द करना दिखाया गया था। कार्यकारी अभियन्ता सरस्वती हैरीटेज मण्डल न0 2 कुरूक्षेत्र द्वारा खुदाई की मिटटी मे से 9045 क्यूम सरप्लस मिटटी शेष बतलाई गई, मिटटी की यह मात्रा बहुत कम है। जांच के दौरान सरपल्स मिटटी तथा Missing of Earth की मात्रा का अध्ययन करने के लिए कार्यकारी अभियन्ता, राज्य चैकसी ब्यूरो, हरियाणा, पचकुला के साथ दिनांक 16.11.2018 व 17.11.2018 को सिंचाई विभाग के अधिकारियो के साथ शाहबाद फीडर नहर का मौके पर निरीक्षण किया गया, निरीक्षण से पाया कि कार्यकारी अभियन्ता HKB मण्डल-1 जगाधरी कार्यालय के उपमण्डल अधिकारी व कनिष्ठ अभियन्ताओ की टीम ने Total Station Surveying instrument की सहायता से Natural Surface Level से उपर मौके पर पडी सारी मिटटी का सर्वे किया गया था। इस सर्वे मे उपयोग की गई मिटटी तथा मौके पर उपलब्ध मिटटी शामिल की गई है। सर्वे कमेटी द्वारा शाहबाद फीडर नहर के साथ-2 जल सेवाऐं मण्डल दादुपुर द्वारा बुर्जी न0 11.587 किलोमीटर से 19.155 किलोमीटर तक गांव कैल से जगाधरी बाईपास सडक के निर्माण मे उपयोग की गई मिटटी को भी Total Station Surveying instrument द्वारा शामिल कर लिया गया । कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग सडके एवं भवन प्रांतीय मण्डल जगाधरी द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान उपरोक्त बाईपास सडक के निर्माण मे श्री अरविन्द कुमार ठेकेदार द्वारा 174344 क्यूम मिटटी उपयोग करने पर 160 रू0 प्रति क्यूम के हिसाब से राशि का भुगतान पत्र क्रमांक 7778 दिनांक 06.12.2018 अनुसार करना बतलाया गया है। इसी प्रकार सडक निर्माण मे उपयोग हुई 174344 क्यूम मिटटी को सर्वे करने वाली कमेटी ने शामिल किया हुआ है 174344 क्यूम मिटटी को उपलब्ध मिटटी मे से घटाने पर निम्नलिखित चार्ट अनुसार Missing Earth की मात्रा बनती है।

Name of the Channel Excavated Earth Work (In cum) Earth used in filling (In cum) Auctioned earth (In cum) Quantity of Earth present at site (In cum) Earth Quantity Cost paid by PWD in by pass road. Balance Earth Quantity
(In Cum)
KM 0.300 to 11.587 KM 11.587 to 19.155 787870

533238

45930

NIL 227946

384000 254404

204883.64
174344
Cum
(.)
378289
cum
KM 19.155 to 24.841 186670.89 NIL NIL 122215.12 (.)
64456
cum

इसके अतिरिक्त जांच मे पाया गया है कि प्रतिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार सिंधवानी, तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता, हथनी कुण्ड बैराज, मण्डल-1 जगाधरी, श्री एस0एन0 भारद्वाज तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता, जल सेंवाऐं, दादूपुर व श्री अछर कुमार, तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता, जल सेवाऐं, मण्डल जगाधरी द्वारा शाहबाद फीडर की खुदाई की गई सरपल्स मिटटी मे से (.) 378289 cum (.) 64456 cum कुल 442745 cum मिटटी को अपने अधीन उप मण्डल अधिकारियों श्री एस0के0 बंसल, ओ0पी0 बठला, श्री प्रवीण चंद शर्मा, श्री सतपाल बेदी इत्यादि की मिलीभगत से अपने पद का दुरूप्योग करके खुर्दबुर्द करना पाया गया है। हरियाणा लोक निर्माण विभाग भवन एंव सडके के अनुसूचि दरे (Schdule Rate) अनुसार मिटटी की क्षतिपूर्ति 2.80 रू0 निर्धारित की हुई है। विभाग द्वारा सरपल्स मिटटी को उपरोक्त रेटस के आधार पर ही नीलाम किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त अधिकारियों द्वारा सरकार को लगभग 442745 Cum X 2.80 12,39,686/- रूपये की वितिय हानि पहुंचाई गई है, इसलिए उपरोक्त के विरूद्व धारा 409 भारतीय दण्ड सहिता व धारा 13(1) सी0 भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम के तहत अपराधिक मामला दर्ज करने का सुझाव दिया गया । यदि उस

समय के मिटटी के बाजार भाव लेकर आंकलन किया जाए तो क्षति राशि और भी बढ सकती है। तफतीश के दौरान शाहबाद फीडर बुर्जी न0 0 से 24.841 किलोमीटर पर उपलब्घ मिटटी का पुनः आंकलन/विश्लेषण करने का तथा शाहबाद डिस्ट्रीब्यूटरी व शाहबाद-नलवी डिस्ट्रीब्यूटरी के निर्माण कार्यो पर मिटटी भराई पर दी गई लीड रेटस को भी देख लिया जाने का सुझाव दिया गया । इसके अतिरिक्त यदि किसी अन्य व्यक्ति/अधिकारी/कर्मचारी की मिलीभगत पाई जाए तो उसे भी अनुसंधान मे शामिल करने का सुझाव दिया गया। जांच के दौरान प्रतिवादी श्री एस0एन0 भारद्वाज को जांच मे शामिल होने के लिए सुचित किया गया था लेकिन प्रतिवादी जांच मे शामिल नहीं हुआ। अन्तिम रिपोर्ट मे धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 13(1) सी0 भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 के तहत अभियोग अंकित किया जाने का सुझाव दिया गया अंन्तिम रिपोर्ट महानिदेशक, राज्य चैकसी ब्यूरो पंचकुला के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भेजी गई थी। जांच रिपोर्ट का परिक्षण करने उपरान्त अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पत्र यादि क्रमांक 46/21/2018-4 चौ0 (II) दिनांक 13.08.2018 के अनुसार श्री सुरेन्द्र सिंधवानी, श्री एस0एन0 भारद्वाज, श्री अच्छर कुमार, श्री एस0के0 बंसल, ओ0पी0 बठला, श्री प्रवीण चंद शर्मा, श्री सतपाल बेदी व अन्य के विरूद्व धारा 409 भा0द0स0 व धारा 13(1) C, 13(2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए है । लिहाजा तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा अरसाल थाना है स्पैशल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रट साहब व अफसरान बाला की सेवा मे भिजवाई जावे और मुकदमा की आगामी तफतीश के आदेश अफसरान बाला से प्राप्त करने उपरान्त मिसल मुकदमा मय रिकार्ड सहित सम्बधित अनुसंधान अधिकारी के हवाले की जावे। अज- PS SVB PKL. Sd Suresh Kumar निरीक्षक थाना राज्य चैकसी ब्यूरो, सैक्टर-17 पंचकूला, दिनांक 04.04.2019 at 2.15 pm अज थाना- उपरोक्त तहरीर पर अभियोग न0 01 दिनांक 04.04.2019 धारा 409 भा0द0स0 व धारा 13(1) C, 13(2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो सैक्टर 17 पंचकुला दर्ज रजिस्टर किया जाकर स्पैशल रिपोर्ट ई. मेल के माध्यम से इलाका मैजीस्ट्रेट साहब जगाधरी जिला यमुनानगर की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही है । अभियोग में अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करने के लिए उच्च अधिकारियों को अलग से पत्र लिखा जाएगा। असल तहरीर व अभियोग की पुलिस फाईल आगामी अनुसंधान के लिए अनुसंधान अधिकारी नियुक्त होने उपरान्त हवाले की जाएगी । इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद **सं. 2** में उल्लेख धारा के तहत है.**):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** SURESH KUMAR **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 10CPF **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Suresh Kumar

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): hps

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (**अदालत में प्रेषण की **दिनांक** और समय**):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 **संलग्नक):**

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1959				**Is Proxitted:** Yes
2	Male	1959				**Is Proxitted:** Yes
3	Male	1959				**Is Proxitted:** Yes
4	Male	1959				**Is Proxitted:** Yes
5	Male	1959				**Is Proxitted:** Yes
6	Male	1959				**Is Proxitted:** Yes
7	Male	1959				**Is Proxitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)